निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 820) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2011

सं० 22/नि0सि0(गया)–17 (ए0)–05/2008/1465— श्री अमरेन्द्र कुमार अमन, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, जल पथ अंचल, गया, आई0 डी0 सं0 3483 के उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि में जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर प्रखंड के दानुबिगहा कचनावा सबदलपुर तक दरधा नदी के बॉये जमींदारी बॉध के निर्माण कार्य में हुई कतिपय अनियमितता की जॉच निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा की गई। औचक जॉच में जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर प्रखंड के दानुबिगहा कचनावा सबदलपुर नदी के जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यो में बरती गयी अनियमितता के लिए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 223, दिनांक 1 अप्रील 2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 के अंतर्गत निलंबित करते हुए उक्त नियमावली के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गई।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–786, दिनांक 4 जुलाई 2011 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री अमन से उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रसंग में प्राप्त स्पष्टीकरण की सरकार के स्तर पर सम्यक् समीक्षोपरांत निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये :–

1. दानुबिगहा से कचनावॉ सबदलपुर तक दरधा नदी के बॉया एवं दॉया जमींदारी बॉध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृत्यार्थ प्राक्कलन में दरधा नदी के दांये बॉध का प्रावधान नहीं रहने के बावजूद इनके द्वारा कार्यकारी प्राक्कलन में दांये बॉध का समावेश कर बिना कोई औचित्य दर्शाये तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई।

2. जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य अनुमोदित प्राक्कलन में फारमेशन लेवेल आर0 एल0–272 फीट एवं एफ0 एस0 एल0–269 फीट के विरूद्व स्वीकृत प्राक्कलन में फारमेशन लेवेल आर0 एल0–249 फीट ही रखा गया है, लिहाजा बॉध की उॅचाई में 23 फीट की कमी की गई है, जिसका कोई तकनीकी औचित्य नहीं दर्शाया गया है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए दोषी पाये जाने के कारण निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

1. निन्दन वर्ष 2008–09
2. कालमान वेतन के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति जिसमें वे अगले पॉच वर्षो तक कोई वेतन वृद्वि अर्जित नहीं करेंगे तथा पॉच वर्षो के बाद नियमानुसार वेतन वृद्वि देय होगा।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

अतएव श्री अमरेन्द्र कुमार अमन, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता को निलंबन से मुक्त किया जाता है एवं उन्हें मुख्यालय में योगदान देने का निदेश दिया जाता है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री अमन को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 820-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in